	(11)
	of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
(1) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Joint Secretary (Adminstration), Department of Agriculture and Cooperation —Member 4. Director, (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member 5. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Member (2) Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Joint Secretary (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Chairman 2. Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Director (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member 4. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 16-1/2009-NRM- II]

BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, (कृषि एवं सहकारिता विभाग) भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें, लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन सहित	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	21* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3, 15600—39100 रु. (ग्रेड वेतन 5400 रु.)	चयन	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में एक विषय के रूप में मृदा विज्ञान या कृषि रसायन के साथ कृषि में निष्णात डिग्री । (ii) मृदा सर्वेक्षण और/या सुदूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली में तीन वर्ष का फील्ड का या शोध का अनुभव **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय :-** केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ए आई सी टी ई या राज्य/ केन्द्रीय सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम संगठन के द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्थान से सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग में उन्नत प्रशिक्षण ।	(i) **आयु :** नहीं (ii) **शैक्षिक अर्हताएं:** नहीं, किंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में या कृषि में मृदा विज्ञान या कृषि रसायन के एक विषय के साथ कम से कम बी.एस.सी की डिग्री रखता हो	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
50% प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 50% सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसा फील्ड अधिकारी जिन्होंने संबंधित श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(11)

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा, 01-01-2006 या वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को समान ग्रेड/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी :

क (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड- 2, (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास क्रम सं. 7 पर सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा, 01-01-2006 या वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को समान ग्रेड/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
(1) **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशा.) कृषि और सहकारिता मंत्रालय —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग) कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य 4. निदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग) कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य 5. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा एवं भू- उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य (2) **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग) कृषि और सहकारिता विभाग —अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग) कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य 3. निदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग) कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य 4. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 16-1/2009-(एनआरएम-II]

भीम सिंह, अवर सचिव (एनआरएम)

New Delhi, the 26th April, 2013

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organization (Assistant Soil Survey Officer), Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Soil Survey Officer in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), Soil and Land Use Survey of India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), Soil and Land Use Survey of India, Assistant Soil Survey Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Soil Survey Officer	21* (2013) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'A', -Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus grade pay Rs. 5400	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :—** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Master's degree in Soil Science or Agriculture with Soil Science or Agricultural Chemistry as a subject from a recognised University. (ii) three years' Field or Research experience in Soil Survey or Remote Sensing and Geographical Information System in a State/Central Government/Public Sector Undertaking/Private Organisation. **Note 1:**The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of Candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Advanced training in Remote Sensing and Geographical Information System applications in the field of Soil Survey from University/Institutes recognised by State/Central Government/University Grants Commission/ AICTE or State/Central Government/Public Sector Undertaking organization.	(i) Age: No (ii) Educational Qualifications : No, but must possess at least B.Sc Degree in Soil Science or Agriculture with Soil Science or Agriculture Chemistry as a subject from a recognised university.	Two years for direct recruits and promotees

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Fifty per cent by promotion, failing which by deputation (including short term contract);	**Promotion:**
Fifty per cent by direct recruitment.	Field Officer in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 with 3 years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with

(11)
their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation. Deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Agricultural Universities and Research Institutions of Indian Council of Agriculture Research, (a) (i) hodding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years' regular service in the grade in the pay band -2 plus grade pay : Rs. 4600 in the parent cadre or Department; or (iii) with eight years' regular service in the grade in the pay band -2 plus grade pay : Rs. 4200 in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. **Note 1:—** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:—** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:—** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application).

(10)	(11)
	Note 4:— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding garde pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
(1) **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—** 1. Chairman or a Member of Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Joint Secretary (Natural Resource Management Division) Department of Agriculture and Cooperation —Member 4. Director (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member 5. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Member (2) **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—** 1. Joint Secretary (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Chairman 2. Additional Commissioner (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Director (Natural Resource Management Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member 4. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 16-1/2009-NRM- II]

BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)